के.औ.सु.ब. बल सदस्यों (अराजपत्रित) की नवीन स्थानांतरण नीति परिपत्र संख्या 22/2017 दिनांक 25.09.2017

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

प्रश्न 1 :– मैं इस्टर्न सेक्टर का बल सदस्य हूँ, तथा मेने पूर्व में पूर्वी उत्तर–प्रदेश स्थित इकाइयों में सेवा की है, क्या उक्त इकाइयों में की गई सेवा अब होम जोन में जोड़ी जाएगी ?

उत्तर :– नही, आपके द्वारा पर्व में की गई सेवा की गणना ''आउट ऑफ होम जोन्'' में ही की जाएगी, परन्तु यदि आप दिनांक 01/11/2017 को या उसके पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों में सेवा कर रहे हो तो वह सेवा अवधि ''होम जोन'' में जोड़ी जाएगी ।

प्रश्न 2 :– मैं पश्चिम बंगाल का बल सदस्य हूँ, तथा मेरे द्वारा पूर्व में की गई उड़ीसा स्थित इकाइयों में की गई सेवा की गणना किस प्रकार होगी ?

उत्तर :– आपके द्वारा पूर्व में उड़ीसा स्थित इकाइयों में की सेवा की गणना '' आउट आफॅ होम जोन'' में की जाएगी तथा दिनांक 01/11/2017 को या उसक पश्चात उडीसा में की गई सेवा की गणना ''होम जोन'' में की जाएगी।

प्रश्न 3 :– मैं नार्थ ईस्टर्न सेक्टर का बल सदस्य हूँ, तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित में की गई सेवा की गणना किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर :– आपके द्वारा पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित इकाइयों की गणना ''होम जोन'' के अन्तर्गत ही की जाएगी तथा दिनांक 01/11/2017 या उसके पश्चात की गई सेवा की गणना ''आउट आफॅ होम जोन'' में की जाएगी।

प्रश्न 4 :– मैं मध्य–प्रदेश का बल सदस्य हूँ, तथा मेरे द्वारा पूर्व में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन एंव द्विप, दादर नागर हवली में स्थित इकाईयों में की गई सेवा की गणना किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर :– आपके द्वारा पूर्व में उक्त राज्यों में की गई सेवा '' होम जोन'' में मानी जाएगी तथा दिनांक 01/11/2017 को या उसके पश्चात की गई सेवा की गणना आउट ऑफ होम जोन में की जाएगी।

प्रश्न 5 :– मैं पश्चिम बंगाल का बल सदस्य हूँ, वर्तमान में, मैं पश्चिम बंगाल में पदस्थ हूँ । मेरे द्वारा पूर्व में 5 वर्ष नार्थ ईस्ट (गोवाहटी) में सेवा की गई है, अब उक्त कार्यकाल की गणना ''होम जोन'' या ''आउट आफॅ जोन'' में की जाएगी।

उत्तर :– आपके द्वारा पूर्व में जो 05 वर्ष नार्थ ईस्ट(गोवाहटी) स्थित इकाइयों में जो सेवा की गई है उसकी गणना आपके '' होम जोन'' में ही की जाएगी । परन्तु अब यदि आप दिनांक 01/11/2017 को या इसके पश्चात नार्थ ईस्ट स्थित इकाइयों में पदस्थ होते है तो अब उसकी गणना ''आउट आफ होम जोन'' में की जाएगी।

प्रश्न 6 :– यदि मैं अनुरोध पर '' आउट ऑफ होम जोन'' की इकाई में जाता हूँ जबकि मेरा ''होम जोन'' देय है तो उक्त स्थानांतरण की गणना किस में की जाएगी ?

उत्तर :– नवीन स्थानांतरण निर्देशिका के अनुसार अब अनुरोध स्थानांतरण ''होम जोन'' में की गई सेवा मानी जाएगी ।

प्रश्न 7 :– यदि मैं अन्तर सेक्टर स्थानांतरण में स्वंय के ''होम जोन'' में जाने को इच्छुक नहीं हू तो मेरी उक्त अवधि की गणना किस में की जाएगी ?

उत्तर :– यदि कोई बल सदस्य अन्तर क्षेत्रीय स्थानांतरण में ''होम जोन'' जाने हेतु इच्छुक नहीं है, तो उक्त अवधि की गणना अब नवीन स्थानांतरण निर्देशिका के अनुसार '' होम जोन'' माना जाएगा ।

प्रश्न 8 :– क्या सेवानिवृत्ति के समय घर के नजदीक स्थानांतरण किया जा सकता है ?

उत्तर :– जो बल सदस्य स्थानांतरण नियमों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते है वे सामान्यतः सेवा निवृत्ति के समय स्वंय के ''होम जोन'' में ही तैनात रहते है, संबधित महानिरीक्षक इकाईयों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार वांछित इकाई आवंटित कर सकते है।

प्रश्न 9 :– क्या गृह जिले में स्थित इकाई में स्थानांतरण किया जा सकता है ?

उत्तर :– सामान्य परिस्थितियों में बल सदस्य के गृह जिले में स्थित इकाइयों में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 10 :— मैंने स्थानांतरण निर्देशिका के अनुसार निर्धारित आउट आफॅ होम का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, फिर भी मेरा स्थानांतरण अंतर सेक्टर स्थानांतरण के तहत नही हूआ है ?

उत्त्तर :— अगर ''होम सेक्टर'' में उतने पद रिक्त नहीं है जितने उस रैंक में बल सदस्य उस ''होम सेक्टर'' मे जाने के लिए पात्र है, तो उन्हें ''होम सेक्टर'' में तैनाती मेरिट से मिलेगी। जिन बल सदस्यों ने ज्यादा आउट ऑफ होम जोन में सेवा की है, रिक्त पदों पर उन्हे ही प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रश्न 11 :— नवीन स्थानांतरण निर्देशिका के तहत मेरी वर्तमान इकाई आउट ऑफ होम जोन के अन्तर्गत आ गई है, जबकि मेरा ''होम जोन'' बनता है तथा मेंने इकाई कार्यकाल भी पूर्ण नहीं किया है, क्या मेरा स्थानांतरण अंतर सेक्टर स्थानांतरण वर्ष–2018 में होम जोन के लिये जारी किया जाएगा या नहीं ?

उत्तर :— जो बल सदस्य अपने होम जोन में सवारत है, एंव सेक्टरों के पुनगठन के कारण अब उनकी इकाईयॉ ''आउट आफ होम जोन'' में आ गई है । इस प्रकार के समस्त बल सदस्यों का स्थानांतरण अन्तर सेक्टर स्थानांतरण के अंतर्गत वर्तमान इकाई कार्यकाल पूरा करने तक नवीन ''होम जोन'' मे नहीं किया जाएगा । किन्त, इस प्रकार के कार्यकाल (जो दिनांक 01/11/2017 या उसके पश्चात) की गणना ''आउट आफॅ होम'' जोन की जाएगी।

प्रश्न 12 :— नवीन स्थानांतरण निर्देशिका के तहत मेरी वर्तमान इकाई होम जोन के अन्तर्गत आ गई है जबकि मैं ''आउट आफॅ होम जोन'' के लिये ड्यू हूँ तथा मेंने इकाई कार्यकाल भी पूर्ण नहीं किया है, क्या मेरा स्थानांतरण अंतर सेक्टर स्थानांतरण वर्ष–2018 में आउट ऑफ होम जोन केलिये जारी किया जाएगा या नहीं ?

उत्तर इसी प्रकार जो बल सदस्य अपने आउट आफॅ होम जोन में सेवारत है, एंव सेक्टरों के पुर्नः गठन के कारण अब उनकी इकाईयों होम जोन में आ गई है । इस प्रकार क भी समस्त बल सदस्यों का स्थानांतरण अन्तर सेक्टर स्थानांतरण के अंतर्गत वर्तमान इकाई कार्यकाल प्ूर्ण होने तक नवीन ''आउट आफॅ होम जोन'' नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के कार्यकाल (जो दिनांक 01/11/2017 या उसके पश्चात) की गणना ''होम जोन'' की जाएगी।

****